17/संख्या- 372/बयालिस- 2014-131(विविध)/2013

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नयाक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रेदश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 2014**

विषय- जनपद- बरेली में स्टेडियम के निस्तारीकरण व सुदृढीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 1005 एवं 1006/नि0 बरेली स्टे0 पत्रा/2013-14, दिनांक 03-01-2014 तथा पत्र संख्या- जी0- 1134/नि0 बरेली स्टे0 पत्रा/2013-14-13, दिनांक 06-02-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बरेली में स्टेडियम के सुदृढीकरण व निस्तारीकरण के लिए रू0 485.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष- 2013-14 में उक्त मद में उपलब्ध धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पैकफेड उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2013-14 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में इस योजना हेतु किसी अन्य स्रोत से धनराशि न दी गयी हो, न ही प्रश्नगत कार्य किसी कार्य योजना में वित्तपोषण हेतु प्रस्तावति है।

(3)- प्रश्नगत कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व डी0पी0आर0 बनाते हुए शासनादेश दिनांक 02 मार्च, 2006 के आलोक में सक्ष्म स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसे निदेशक, खेल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)- कार्यों को पूर्णगुणवत्ता/मानको एवं विशिष्टियों के अनुरूप स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा, तथा पुनरीक्षित लागत की मांग नहीं की जायेगी। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

(5)- स्वीकृत धनराशि का आहरण व्यय की आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों हेतु मानकानुसार निर्विवाद भूमि उपलब्ध है।

.....2/

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर/कास्ट ओवर रन के सम्बन्ध में दिनांक 10 जुलाई, 2002 में दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- प्रस्तावति प्रायोजना की विस्तृत डाइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही परियोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जायेगे। आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों के सापेक्ष प्रयोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों स्तेमाल नहीं किया जायेगा।

(8)- उपरोक्त संदर्भित कार्य मरम्मत एवं पुनरोद्धार से सम्बन्धित है। अत: विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसकी देख-रेख में प्रस्तावित कार्य सम्पादित कराये जाने और उक्त समिति द्वारा कार्यों के भौतिक सत्यापन के बाद ही भुगतान किया जाये।

(9)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2013-14 में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्ष-4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-55-जनपद बरेली के स्पोर्टस स्टेडियम का सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई- 5- 336/दस- 2014, दिनांक 25 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय्,

(के0 रविन्द्र नायक)
सचिव।

संख्या- 372(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रेदश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी, बरेली।
5- प्रबन्ध निदेशक पैकफेड उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय - नियंतत्र) अनुभाग- 5
8- नियोजन अनुभाग- 4
9- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(के0 रविन्द्र नायक)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in